न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 19/2017

1. कृष्णलाल
2. सुभाष
3. महावीर

पि0 लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवी चक 71 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलांट्स

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।
2. मांगी देवी पत्नी गोपालराम जाति जाट निवासी चक 71 एन.पी.तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि.1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 22.11.2016

उपस्थिति—

श्री कृष्णलाल लदोइया अभिभाषक अपीलांट

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक— 19/7/19

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/अपीलांट्स ने एक प्रा.पत्र राज.काश्त.अधि. की धारा 251क के तहत उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष पेश कर चक 71 एन.पी. के मु.नं. 35 के कि.नं. 5 में मंजूरशुदा खाला के पार मु.नं. 34 के स्वीकृतशुदा रास्ता की सीध में 16 X 16 फुट रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया।

(A) प्रा.पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रार्थीगण का प्रा.पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि जिस भूमि में से रास्ता चाहा गया है वह भूमि रकबा राज दर्ज है। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

2. रेस्पों. सं. 2 के सम्मन बार –बार मांगे जाने पर अपीलांट द्वारा पेश नहीं किये जाने पर वकील अपीलांट राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

(a) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को अपनी भूमि में जाने हेतु और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांट ने विवादित रास्ता स्वीकृति हेतु अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र पेश किया जो बिना किसी आधार के खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर आवेदित रास्ता स्वीकृत किया जावे।

(b) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(I) हमने अधी. न्यायालय के निर्णय पर गौर किया। प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग आराजी राज भूमि से चाही गई है। धारा 251(क) के तहत रास्तों की मांग खातेदारी भूमि से कर, गुजरने वाले रास्तों से होकर केवल अत्यांतिक आवश्यकता साबित होने की दशा में उपखण्ड अधिकारी द्वारा बाद जांच विधिपूर्ण संतुष्टि पर ही, पक्षकारों की सुनवाई पश्चात मुआवजे के आदेश पश्चात ही जारी किये जा सकते हैं। प्रार्थी का प्रकरण 251(ए) राज.काश्त.अधि. के प्रावधानों की सीमा का नहीं है। उपखण्ड अधिकारी का आदेश अहस्तक्षेप योग्य व उचित है।

(II) उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13/12/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर